



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्र संख्या

/नियोजन अनुभाग/2024-25

दिनांक:

“सार्वजनिक सूचना”

एतद्वारा जन-साधारण को सूचित किया जाता है कि इन्दिरापुरम योजना के पूर्व स्वीकृत तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन कर शक्तिखण्ड-4 में 30 मीटर चौड़ी रोड पर कम्युनिटी सेन्टर के निकट मल्टीप्लेक्स क्रिया हेतु नियोजित 5998.78 वर्ग मीटर क्षेत्रफल भूखण्ड को होटल क्रिया में परिवर्तित करने एवं मानचित्र स्वीकृति के समय उक्त क्रिया पर तत्समय प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि व अन्य शर्तों/शासनादेश के अन्तर्गत निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 18.03.2025 में सम्यक विचार-विमर्श उपरान्त अनुमोदित किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या 2438/9-आ-3-98-60एल.यू.सी./96, दिनांक 13 अक्टूबर, 1998 में दिये गये प्रावधानों के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त तलपट मानचित्र का अवलोकन किसी भी कार्यदिवस में मुख्य नगर नियोजक कार्यालय कक्ष में किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव मुख्य नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।